उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-781/2015/1152/69-1-2015-14(31)/2012टीसी
लखनऊ : दिनांक: 21 अगस्त, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-35/69-1-13-14(31)/2012टीसी दिनांक 24.01.2013 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में लाभार्थी चयन के मानक, लाभार्थी चयन की प्रक्रिया व रिक्शों का आवंटन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त प्रस्तर-3 में लाभार्थी चयन की प्रक्रिया व रिक्शों का आवंटन के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-9 में यह निर्देश हैं कि " जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के दिशा-निर्देश में गठित समिति के माध्यम से चयनित पात्र रिक्शा चालकों को उनका पुराना निजी पारम्परिक मानव चालित रिक्शा प्राप्त करने के उपरान्त ही मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा वितरित किया जायेगा।" उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1.	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा	-	अध्यक्ष
2.	नगर आयुक्त (नगर निगम वाले जनपदों में)/ परियोजना निदेशक, डूडा (अन्य जनपदों में)	-	सदस्य सचिव
3.	उपजिलाधिकारी/तहसीलदार	-	सदस्य
4.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (मण्डलीय जिला मुख्यालय स्तर पर)/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (जनपद मुख्यालय स्तर पर)	-	सदस्य
5.	राजकीय पालीटेक्निक अथवा राजकीय आई0टी0आई0 के आटोमोबाईल/ मैकेनिकल शाखा के प्रवक्ता	-	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा	-	सदस्य

अतः कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

-2/

संख्या-185(1)/2015/1752/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर पदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. बजट समन्वयक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।